

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या-328

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों हेतु घरेलू विनिर्माण कार्यक्रम

\*328. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रमुख विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए कोई घरेलू निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस पहल के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं तथा इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय परिव्यय कितना है;
- (ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति वर्ष तीन विनिर्माण जोन की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इन जोनों की स्थापना करने हेतु राज्यों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;
- (ङ) विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु इन तीनों जोनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कितनी है; और
- (च) क्या राज्य किसी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करेंगे जिसे निजी कंपनियों द्वारा विनिर्माण सुविधाएं स्थापित किए जाने पर इन कंपनियों को अंतरित कर दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों हेतु घरेलू विनिर्माण कार्यक्रम" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 328 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (घ) : जी नहीं।

(ख), (ग), (ङ) और (च) : विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के संबंध में आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, "विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने हेतु स्कीम" का प्रस्ताव किया गया है।

तीन वर्षों की अवधि के दौरान तीन विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। साझा अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) और साझा जांच सुविधाओं (सीटीएफ) की स्थापना के प्रयोजन हेतु इन विनिर्माण क्षेत्रों को सहयोग दिया जाएगा।

इन विनिर्माण क्षेत्रों के स्थानों पर निर्णय लेने संबंधी तौर-तरीकों पर नीति आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-336

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी कहलगांव में फसलों को क्षति

\*336. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2020 में एनटीपीसी, कहलगांव में लैगून (खाड़ी)-3डी के तटबंध को क्षति पहुंचने से हजारों किसानों के खेतों में राख मिश्रित पानी पहुंचने से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संयंत्र/विद्युत स्टेशन की स्थापना के कारण विस्थापित हुए कितने व्यक्तियों को कुशल/अकुशल श्रेणी में रोजगार दिया है; और

(ङ) एनटीपीसी, कहलगांव ने अभी तक कितने गांवों को गोद लिया है और इनमें कितना विकास कार्य किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

"एनटीपीसी कहलगांव में फसलों को क्षति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 336 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग) : नवंबर, 2020 में एनटीपीसी कहलगांव के लैगून-3डी तटबंधन में दरार आई थी। राख मिश्रित पानी के अधिप्लाव के कारण, बिहार के भागलपुर जिले के एकचारी, रसालपुर, महेशमुंडा एवं धनौरा के मौजा में फसलें प्रभावित हुईं। बिहार सरकार ने फसलों के नुकसान के फैलाव की जांच करने के लिए समिति गठित की है और समिति के निष्कर्षों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(घ) और (ड) : विगत पांच वर्षों के दौरान पंद्रह (15) भूमि बेदखलों को कौशल श्रेणी में स्थाई रोजगार दिया गया है। एनटीपीसी - कहलगांव द्वारा किए गए सामुदायिक विकास कार्य प्रमुखतः शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास, शारीरिक रूप से दिव्यांगों को सहायता, पर्यावरणीय संधारणीयता एवं समावेशी विकास के लिए सरकारी प्रयासों एवं स्कीमों के अभिवर्धन के क्षेत्रों में हुआ है। ये पहले समुदाय की जरूरतों और उनके लिए बजट/संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होती हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3689

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित ताप विद्युत संयंत्र

**3689. श्री विनसेंट एच. पाला:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी आधारित ताप विद्युत संयंत्र चरण-I हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी कर ली गई थी जैसा कि प्रारंभ में प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समूची चरण-I के पूरे किए जाने हेतु मंजूर तथा जारी की गई निधि कितनी है;

(ग) चरण-II के लिए प्रस्तावित समय-सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान इस हेतु किसी धनराशि का अनुमोदन किया गया है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए प्रायोजक एजेंसी है। फेज-I (आरएंडडी फेज) को सितंबर, 2019 में समापन के लिए शेड्यूल किया गया था किंतु कतिपय विलंब हुए और इसका समापन दिसंबर, 2020 में हुआ। डीएचआई के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान के रूप में कुल 900 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। परियोजना का प्रस्तावित व्यय 897 करोड़ रुपये है और परियोजना का वित्तीय समापन मार्च, 2021 के अंत तक लक्षित है।

(ग) से (ङ) : एयूएससी परियोजना के फेज-I में कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एयूएससी प्रौद्योगिकी की स्थापना करने के लिए पूर्ण मानक 800 मेगावाट प्रौद्योगिकी निदर्शन संयंत्र (टीडीपी) की स्थापना परिकल्पित है। टीडीपी के लिए परिकल्पित समय-सीमा परियोजना के अनुमोदन की तारीख से 54 माह है। एयूएससी परियोजना के फेज-II के लिए निधियन विकल्पों की गणना हितधारक मंत्रालयों/संगठनों के परामर्श से की जाएगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3711

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत के पारेषण और वितरण में हानि

3711. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत के पारेषण और वितरण (टी एंड डी) के कारण राज्यों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विद्युत उत्पादन के मानदंडों के अनुसार होने वाले संभावित पारेषण हानि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत कंपनियों द्वारा कितनी पारेषण हानि हुई है; और
- (घ) सरकार द्वारा पारेषण हानियों को कम करने के लिए क्या नीति बनाई गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : वितरण क्षेत्र की हानियों को समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों के रूप में मापा जाता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लि. द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए प्रकाशित 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार, देश की एटीएंडसी हानियां 22.03 प्रतिशत थीं। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

गणना के अनुसार, 1 प्रतिशत एटी एंड सी हानियां राष्ट्रीय स्तर पर 6959 करोड़ रुपए वार्षिक की मूल्य हानि के बराबर होती हैं। हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक इन हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे लाना है।

(ख) से (घ) : पारेषण हानियां पारेषण घटकों में उनकी अंतर्निहित ओहमिक हानियों के कारण होती है। देश में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में पारेषण हानियां 2.5 प्रतिशत-3 प्रतिशत के बीच हैं।

पारेषण हानियों में और कमी करने के लिए, देश में पारेषण प्रणाली को एक्सट्रा हाई वोल्टेज पारेषण लाइनों के साथ योजनाबद्ध किया गया है। वर्तमान में, भारत द्वारा पारेषण हानियों को कम करने के लिए एसी के लिए 765 केवी तक और डीसी के लिए +/-800 केवी पारेषण वोल्टेज अंगीकृत किया गया है। इसके अलावा, आईएसटीएस हानियों को न्यूनतम बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मरों, रिएक्टरों आदि जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरण संस्थापित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3711 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19 में एटीएंडसी हानि (%)
1	आंध्र प्रदेश	25.67
2	अरुणाचल प्रदेश	55.50
3	असम	19.87
4	बिहार	30.94
5	छत्तीसगढ़	27.33
6	दिल्ली	9.07
7	गोवा	15.69
8	गुजरात	13.98
9	हरियाणा	18.08
10	हिमाचल प्रदेश	11.39
11	जम्मू और कश्मीर	49.94
12	झारखंड	28.60
13	कर्नाटक	19.82
14	केरल	9.10
15	मध्य प्रदेश	36.01
16	महाराष्ट्र	14.73
17	मणिपुर	29.79
18	मेघालय	35.22
19	मिजोरम	16.20
20	नागालैंड	40.06
21	ओडिशा	29.17
22	पुडुचेरी	22.24
23	पंजाब	11.28
24	राजस्थान	28.26
25	सिक्किम	31.83
26	तमिलनाडु	17.47
27	तेलंगाना	19.99
28	त्रिपुरा	35.48
29	उत्तर प्रदेश	33.15
30	उत्तराखंड	16.20
31	पश्चिम बंगाल	23.00
	<b>कुल जोड़</b>	<b>22.03</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3728

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत बोर्डों को हानि

3728. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत बोर्डों को हुई वार्षिक हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्तमान में विद्युत का उपभोग कितना है तथा राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पादित विद्युत की राज्य-वार मात्रा कितनी है;
- (ग) उक्त राज्यों को किस स्रोत से शेष विद्युत की आपूर्ति की जाती है; और
- (घ) राज्य सरकारों द्वारा विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा संघ सरकार का इसमें कितना योगदान है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' में उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक भारत में वितरण यूटिलिटीयों का राज्य-वार लाभ एवं हानि **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। अभी तक प्राप्त 189.395 गीगावाट की अधिकतम मांग की तुलना में, देश में उत्पादन की संस्थापित क्षमता 379 गीगावाट है। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी, 2021 तक आपूर्ति की गई विद्युत और 25 मेगावाट एवं उससे अधिक के परंपरागत ईंधन स्रोतों (ताप एवं जल) से राज्यों के स्वयं के उत्पादन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(ग) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी संबंधित ऊर्जा आवश्यकता विभिन्न स्रोतों जैसे कि उनके स्वयं के उत्पादन, अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों जिनमें केंद्रीय उत्पादन स्टेशन, स्वतंत्र विद्युत खरीददारों (आईपीपीज़) संयुक्त उद्यम शामिल हैं, अन्य राज्यों/द्विपक्षीय से और पावर एक्सचेंजों इत्यादि के माध्यम से विद्युत खरीद कर पूरी

करती हैं। चूंकि भारत के पास अब एक समेकित ग्रिड के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी है, राज्यों एवं क्षेत्रों के बीच विद्युत का प्रवाह दीर्घकालिक, मध्यकालिक अथवा अल्पकालिक संविदाओं के अंतर्गत संभव है।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत क्षेत्र का विकास केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से विद्युत संयंत्र स्थापित करके जिनमें क्षेत्र के राज्यों को हिस्सा आबंटित किया जाता है, राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

वर्तमान में, देश में केंद्रीय क्षेत्र में 15860 मेगावाट कुल क्षमता की 12 ताप विद्युत परियोजनाएं और राज्य क्षेत्र में 17490 मेगावाट की कुल क्षमता की 16 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-III** पर संलग्न है।

इसके अलावा, देश में 12673.5 मेगावाट कुल क्षमता की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) विकासाधीन हैं जिनमें से 23 जल विद्युत परियोजनाओं (8987.5 मेगावाट) में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन परियोजनाओं की राज्य-वार सूची **अनुबंध-IV** पर संलग्न है।

विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन केंद्रीय क्षेत्र की न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट	आकार (मे.वा.)
1	प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	तमिलनाडु	यूनिट-1	1500
2	कुडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत परियोजना	तमिलनाडु	यूनिट-3,4	2000
3	काकरापार अटॉमिक विद्युत परियोजना	गुजरात	यूनिट-3,4	1400
4	राजस्थान अटॉमिक विद्युत परियोजना	राजस्थान	यूनिट-7,8	1400
	<b>कुल</b>			<b>5300</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3728 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**प्रोद्गवन आधार पर लाभ/(हानि) (पीएटी)**

**करोड़ रुपये**

क्रम सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	(2,282)	(2)	(11,934)
2	अरुणाचल प्रदेश	(324)	(429)	(428)
3	असम	(34)	165	21
4	बिहार	(1,257)	(2,650)	(2,409)
5	छत्तीसगढ़	(422)	(279)	(42)
6	दिल्ली	404	491	799
7	गोवा	(283)	26	(172)
8	गुजरात	275	426	184
9	हरियाणा	(193)	412	281
10	हिमाचल प्रदेश	(111)	4	4
11	जम्मू और कश्मीर	(4,063)	(2,999)	(2,902)
12	झारखंड	(1,741)	(212)	(751)
13	कर्नाटक	(1,119)	(522)	970
14	केरल	(1,495)	(784)	(290)
15	मध्य प्रदेश	(1,470)	(5,284)	(7,159)
16	महाराष्ट्र	785	492	1,097
17	मणिपुर	(15)	(8)	(19)
18	मेघालय	(343)	(287)	(203)
19	मिजोरम	(147)	87	(83)
20	नागालैंड	(62)	(62)	(325)
21	ओडिशा	(913)	(792)	(1,539)
22	पुदुचेरी	(8)	6	(36)
23	पंजाब	(2,836)	(907)	(38)
24	राजस्थान	(1,981)	2,173	2,607
25	सिक्किम	(115)	(29)	(3)
26	तमिलनाडु	(4,349)	(7,761)	(12,623)
27	तेलंगाना	(6,202)	(5,485)	(8,019)
28	त्रिपुरा	40	28	21
29	उत्तर प्रदेश	(3,322)	(5,002)	(6,032)
30	उत्तराखंड	(289)	(229)	(553)
31	पश्चिम बंगाल	(25)	(40)	(45)
	<b>कुल जोड़</b>	<b>(33,894)</b>	<b>(29,452)</b>	<b>(49,623)</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3728 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार**

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य क्षेत्र द्वारा 25 मेगावाट और उससे अधिक की यूटिलिटियों के परंपरागत ईंधन वाले स्रोतों (ताप और जल) से उत्पादन (एमयू में) (फरवरी, 2021 तक)	वर्ष 2020-21 के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू में) (फरवरी, 2021 तक)
1	दिल्ली	4789.00	27458
2	हरियाणा	4425.26	49086
3	हिमाचल प्रदेश	2402.44	9158
4	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	4722.53	15666
5	पंजाब	5096.63	54357
6	राजस्थान	26065.69	77968
7	उत्तर प्रदेश	24854.85	113596
8	उत्तराखंड	4309.94	12652
9	छत्तीसगढ़	17274.76	27693
10	गुजरात	25848.72	100668
11	गोवा	-	3608
12	मध्य प्रदेश	21007.6	76346
13	महाराष्ट्र	44081.4	135082
14	आंध्र प्रदेश	18903.91	55496
15	कर्नाटक	19861.51	60918
16	केरल	5966.59	22561
17	पुदुचेरी	202.76	2387
18	तमिलनाडु	20246.69	90880
19	तेलंगाना	28464.32	58713
20	अंडमान निकोबार	113.9	296
21	बिहार	-	31094
22	झारखंड	2083.84	8773
23	ओडिशा	14161.81	26816
24	सिक्किम	5880.9	493
25	पश्चिम बंगाल	25132.79	46517
26	अरुणाचल प्रदेश	-	644
27	असम	1219.31	9018
28	मणिपुर	-	882
29	मेघालय	1119.09	1834
30	मिजोरम	-	666
31	नागालैंड	-	760
32	त्रिपुरा	485.88	1368

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3728 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**देश में केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं**

क्रम सं.	राज्य	जिला	परियोजना का नाम	यूनिट सं./क्षमता	कुल क्षमता (मेगावाट)
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>					
1	बिहार	पटना	बाढ़ एसटीपीपी- I	3x660	1980
2	बिहार	औरंगाबाद	नबी नगर टीपीपी	1x250	250
3	बिहार	औरंगाबाद	न्यू नबी नगर टीपीपी	2x660	1320
4	झारखंड	चतरा	नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी	3x660	1980
5	ओडिशा	सुंदरगढ़	दरलीपल्ली एसटीपीपी	1x800	800
6	तेलंगाना	करीम नगर	तेलंगाना एसटीपीपी सेंट- I	2x800	1600
7	यूपी	कानपुर	टांडा टीपीपी स्टे.-II	1x660	660
8	यूपी	कानपुर	घाटमपुर टीपीपी	3x660	1980
9	झारखंड	रामगढ़	पतरातू एसटीपीपी	3x800	2400
10	ओडिशा	अंगुल	राउरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	1x250	250
11	उत्तर प्रदेश		खुर्जा एससीटीपीपी	2x660	1320
12	बिहार	बक्सर	बक्सर टीपीपी	2x660	1320
	<b>कुल केंद्रीय क्षेत्र</b>				<b>15860</b>
<b>राज्य क्षेत्र</b>					
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	1x800	800
2	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नेल्लोर	श्री दामोदरन संजीवैया टीपीपी स्टे.-II	1x800	800
3	राजस्थान	गंगानगर	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	1x660	660
4	तेलंगाना	खम्मम	भद्राद्री टीपीपी	2x270	540
5	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	एन्नोर एससीटीपीपी	2x660	1320
6	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	1x800	800
7	तमिलनाडु	रामनाद	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	2x800	1600
8	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	1x660	660
9	कर्नाटक	बैंगलोर	येलहंका सी.सी.पी.	जीटी+एसटी	370
10	उत्तर प्रदेश	एटा	जवाहरपुर एसटीपीपी	2x660	1320
11	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	ओबरा-सी एसटीपीपी	2x660	1320
12	तेलंगाना	नलगोंडा	यादाद्री टी.पी.एस.	5x800	4000
13	उत्तर प्रदेश	कानपुर	पनकी टीपीएस एक्सटें.	1x660	660
14	तमिलनाडु	थुथुकुडी	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	2x660	1320
15	महाराष्ट्र	जलगांव	भुसावल टी.पी.एस.	1x660	660
16	पश्चिम बंगाल		सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	1x660	660
	<b>कुल केंद्रीय क्षेत्र</b>				<b>17490</b>
	<b>कुल जोड़</b>				<b>33350</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-IV**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3728 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**सक्रिय निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची**

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	जिला	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	रिवर/बेसिन	चालू होने की संभावना
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>							
1	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	लोअर सुबानसिरी	8x250	2000.00	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र	2023-24 (अग., 23)
<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>					<b>2000.00</b>		
<b>हिमाचल प्रदेश</b>							
2	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	कुल्लू	4x200	800.00	पारबती/ब्यास/इंडस	2021-22 (मार्च, 22)
3	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केंद्रीय	कुल्लू/शिमला	2x80+2x25	210.00	सतलज/इंडस	2025-26 (फर., 26)
4	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	मंडी	3x33.33	100.00	उहल/ब्यास/इंडस	2022-23 (दिसं., 22)
5	शॉगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	3x150	450.00	सतलज/इंडस	2024-25 (मार्च, 25)
6	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	चंबा	3x60	180.00	रावी/इंडस	2021-22 (दिसं., 21)
7	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	किन्नौर	2x50	100.00	सोरांग/सतलज/इंडस	2021-22 (दिसं., 21)
8	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	100.00	100.00	टिडोंग/सतलज/इंडस	2022-23 (जून, '22)
9	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि.)	निजी	चंबा	3x80	240.00	रावी/इंडस	2025-26 (नव., 25)
<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>					<b>2180.00</b>		
<b>जम्मू व कश्मीर</b>							
10	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x250	1000.00	मरूसदर/चिनाब/ इंडस	2025-26 (जुलाई, 25)
11	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पुंछ	3x12.5	37.50	झेलम/इंडस	2022-23 (मार्च, 23)
12	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x156	624.00	चिनाब/इंडस	2024-25 (अग., 24)
<b>उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर</b>					<b>1661.50</b>		
<b>केरल</b>							
13	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	2x30	60.00	मुदीरापुझा/पेरियार/ बेपोर पेरियार/ डब्ल्यूएफआर	2021-22 (दिसं., 21)

14	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	1x30+1x10	40.00	थोटियार/पेरियार/ बेपोर पेरियार/ डब्ल्यूएफआर	2021-22 (अप्रैल, 21)
<b>उप-जोड़: केरल</b>					<b>100.00</b>		
<b>पंजाब</b>							
15	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	गुरदासपुर	3x33+3x33+ 1x8	206.00	रावी/इंडस	2023-24 (दिसं., 23)
<b>उप-जोड़: पंजाब</b>					<b>206.00</b>		
<b>सिक्किम</b>							
16	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	दक्षिणी सिक्किम	4x125	500.00	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2023-24 (मार्च, 24)
17	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	पूर्वी सिक्किम	2x48	96.00	रोंगनीचू/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र	2020-21 (मार्च, 21)
<b>उप-जोड़: सिक्किम</b>					<b>596.00</b>		
<b>तमिलनाडु</b>							
18	कुंडहा पम्पड स्टोरेज फेज-I, II व III)	राज्य	नीलगिरीस	4x125	500.00	कुंडहा/भवानी/कावेरी/ ईएफआर	2023-24 (अप्रैल, 23)
<b>उप-जोड़: तमिलनाडु</b>					<b>500.00</b>		
<b>उत्तराखंड</b>							
19	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	टिहरी गढ़वाल	4x250	1000.00	भीलंगना/भागीरथी/ गंगा	2022-23 (दिसं., 22)
20	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x111	444.00	अलकनंदा/गंगा	2023-24 (दिसं., 23)
21	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	उत्तरकाशी	2x30	60.00	टोन्स/यमुना/गंगा	2021-22 (दिसं.-21)
22	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	देहरादून	2x60	120.00	यमुना/गंगा	2022-23 (अप्रैल, 22)
<b>उप-जोड़: उत्तराखंड</b>					<b>1624.00</b>		
<b>पश्चिम बंगाल</b>							
23	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	दार्जिलिंग	3x40	120.00	रम्माम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र	2022-23 (नव., 22)
<b>उप-जोड़: पश्चिम बंगाल</b>					<b>120.00</b>		
<b>कुल:</b>					<b>8987.00</b>		

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3730

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

**'गो इलेक्ट्रिक' अभियान**

3730. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात बिल को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से हाल ही में 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पहल देश को भविष्य में एक स्वच्छ और हरित भविष्य हासिल करने में मदद करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत वाहनों और खाना पकाने के विद्युत उपकरणों जैसे कि इंडक्शन कुक होब्स, इलेक्ट्रिक प्रेशन कुकर आदि को अपनाने के लाभों के बारे में आम लोगों में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से 19 फरवरी, 2021 को "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान में उपयोग किए जा रहे परंपरागत साधनों एवं उपकरणों की जगह विद्युत वाहनों और खाना पकाने के विद्युत उपकरणों का उपयोग शुरू करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। परिणामस्वरूप, देश की आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

(ग) और (घ) : "गो इलेक्ट्रिक" अभियान का उद्देश्य ऊर्जा दक्ष विद्युत वाहनों और खाना पकाने के विद्युत उपकरणों के अंगीकरण को बढ़ावा देना है और इससे भविष्य में ऊर्जा परागमन के साथ-साथ निम्न कार्बन आर्थिक विकास प्राप्त करने में देश की सहायता करना अपेक्षित है। ऊर्जा दक्ष होने के कारण, इन प्रौद्योगिकियों से गतिशीलता एवं खाना पकाने से संबंधित उत्सर्जन कम करना, स्वच्छ एवं हरित भविष्य संरक्षित करना अपेक्षित है। अधिक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के समेकन के कारण ऊर्जा मिश्र में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि अपेक्षित है। ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि से इन विद्युत आधारित प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लाभों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3751

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

पावर ग्रिड कनेक्टिविटी

**3751. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिज़ाची थंगापंडियन:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच पावर ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर पावर ग्रिड की स्थापना में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि आवंटित और व्यय की गई है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)**

(क) : वर्तमान में तमिलनाडु राज्य उच्च क्षमता पारेषण कॉरिडोरों जिनमें 765 केवी एवं 400 केवी एसी (ऑल्टरनेटिंग करंट) लाइनों के साथ-साथ  $\pm$  800 केवी, रायगढ़-पुगालुर-त्रिशूर 6000 मेगावाट, अल्ट्रा-हाई-वोल्टेज डायरेक्टर करंट (यूएचवीडीसी) प्रणाली शामिल हैं, जो तमिलनाडु और अन्य राज्यों और क्षेत्रों के बीच अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क के माध्यम से विद्युत के निर्बाध अंतरण को सुकर बनाती है, के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से अच्छी तरह से जुड़ा है। हाल ही में  $\pm$  320 केवी 2000 मेगावाट पुगालुर (तमिलनाडु) - त्रिशूर (केरल) एचवीडीसी परियोजना आरंभ हो गई है।

तमिलनाडु की विद्युत अंतरण क्षमता को, आवश्यकता के आधार पर, गतिशील विद्युत अंतरण परिदृश्यों पर ध्यान देने के लिए विश्वसनीयता एवं सुरक्षा के साथ सतत आधार पर सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) : तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के समेकन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, "हरित ऊर्जा कॉरिडोर" के भाग के रूप में व्यापक पारेषण योजना विकसित की गई थी जिसमें अंतरा-राज्यीय एवं अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली शामिल है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) के भाग के रूप में तमिलनाडु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में 1000 एमवीए, 400/230 केवी तूतीकोरिन-II पूलिंग स्टेशन (जीआईएस) के साथ तूतीकोरिन कूलिंग स्टेशन तक 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइनों की स्थापना शामिल है। यह स्कीम पहले ही चालू की जा चुकी है। तूतीकोरिन क्षेत्र में संभावित पवन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सब-स्टेशन में अतिरिक्त 500 एमवीए अंतरण क्षमता की अभिवृद्धि की जा रही है।

उपरोक्त के अलावा, आईएसटीएस नेटवर्क के माध्यम से तमिलनाडु के करूर/तिरुप्पुर/तूतीकोरिन में 3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की परिकल्पित क्षमता के समेकन के लिए पारेषण प्रणाली अभिचिन्हित की गई है जो बोली प्रक्रिया के अंतर्गत है।

(ग) : पावरग्रिड ने तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच पावरग्रिड कनेक्टिविटी के लिए पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017-20) के दौरान लगभग 17,400 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जिसमें से लगभग 510 करोड़ रुपए तमिलनाडु में जीईसी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर व्यय किए गए थे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3757

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

**डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं का कार्यान्वयन**

3757. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के कार्यान्वयन की चरण-वार स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त योजनाओं में शामिल किए गए राज्यों, सूचीबद्ध लाभार्थियों और अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी और खर्च की गई निधि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) प्राप्त मांग और राज्यों द्वारा उन पर उठाए गए कदमों का वर्ष-वार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार की भावी कार्य योजना क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)**

(क) : भारत सरकार द्वारा ग्रामीण उप-पारेषण और वितरण कार्यों के संवर्धन और सुदृढीकरण, फीडर पृथक्करण और देश में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आरंभ की गई थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं। स्कीम के तहत समग्र प्रगति 94 प्रतिशत है।

इसी प्रकार, देश में ग्रामीण और शहरी गरीब घरों के विद्युतीकरण के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य का भी शुभारंभ किया गया था। राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की थी कि दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, सभी घर विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। तदोपरांत, 7 राज्यों ने सूचित किया था कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों में जो पहले अनिच्छुक थे, परन्तु उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है; तथा एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में स्थित, छत्तीसगढ़ में 1,855 घरों तथा झारखंड में 25,429 घरों को छोड़कर, दिनांक 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार सभी घर विद्युतीकृत हो गए हैं। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.02.2021 तक, सौभाग्य के आरंभ से 2.81 करोड़ घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति क्रमशः **अनुबंध-I(i)** और **अनुबंध-I(ii)** पर है।

**(ख)** : उक्त स्कीमों के लिए सम्मिलित राज्यों, सूचीबद्ध लाभार्थियों और अंगीकृत मानदंडों के विवरण **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

**(ग) से (ङ)** : डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और जारी एवं व्यय की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-III(i)** और **अनुबंध-III(ii)** पर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीमों में समापन वर्ष में हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 तक उपलब्ध हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक प्रगति (नई परियोजनाएं+अतिरिक्त अवसंरचनायुक्त परियोजनाएं+आरई घटक परियोजनाएं)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वास्तविक										सम्पूर्ण % प्रगति	
		पैरामीटर	सब स्टेशन 33/11 केवी		डीटीआर संख्या	फीडर पृथक्करण सीकेएम	लाइन (सीकेएम)			ऊर्जा मीटर (संख्या)			
			नया संख्या	वृद्धि संख्या			एलटी	11 केवी लाइन (फीडर पृथक्करण के अतिरिक्त)	33 तथा 66 केवी	उपभोक्ता	डीटीआर		11 केवी फीडर
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	लक्ष्य								39200			2%
		उपलब्धि								711			
		% उपलब्धि								2%			
2	आंध्र प्रदेश	लक्ष्य	212	16	37470		23884	8582	1631	15779	3618	342	100%
		उपलब्धि	212	16	37470		23884	8587	1631	15779	3618	342	
		% उपलब्धि	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	अरुणाचल प्रदेश	लक्ष्य	22	1	3737		4101	10968	710	96260	1622	397	100%
		उपलब्धि	22	1	3737		4101	10968	710	96260	1622	397	
		% उपलब्धि	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	असम	लक्ष्य	75	71	63882		82637	53872	976		17118	254	100%
		उपलब्धि	75	73	62890		81708	53248	938		17120	260	
		% उपलब्धि	100%	103%	98%		99%	99%	96%		100%	102%	
5	बिहार	लक्ष्य	533	413	220674	32928	195695	74471	8197	994554			96%
		उपलब्धि	498	409	216883	31868	194607	73405	7886	855858			
		% उपलब्धि	93%	99%	98%	97%	99%	99%	96%	86%			
6	छत्तीसगढ़	लक्ष्य	109	176	39253	4857	36585	18872	922	4534	807	3382	93%
		उपलब्धि	109	176	36377	3719	35770	18627	815	4534	575	3382	
		% उपलब्धि	100%	100%	93%	77%	98%	99%	88%	100%	71%	100%	
7	दादरा एवं नगर हवेली	लक्ष्य						21		300	350		100%
		उपलब्धि						7		300	350		
		% उपलब्धि						100%		100%	100%		
8	गोवा	लक्ष्य								94187			100%
		उपलब्धि								94187			
		% उपलब्धि								100%			
9	गुजरात	लक्ष्य	15	28	21293	1512	31021	10473	96	1732938	59179		99%
		उपलब्धि	15	28	21050	1512	30936	10362	96	1659310	57624		
		% उपलब्धि	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	96%	97%		

10	हरियाणा	लक्ष्य	14	23	8513	212	2909	3000	136	35008			101%
		उपलब्धि	14	23	8513	212	2896	3000	136	38274			
		% उपलब्धि	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109%			
11	हिमाचल प्रदेश	लक्ष्य	17	23	2546	11	7391	1872	52	123334	412	18	72%
		उपलब्धि	2	23	2507	11	7188	1740	24	102487	222	6	
		% उपलब्धि	12%	100%	98%	99%	97%	93%	46%	83%	54%	33%	
12	जम्मू एवं कश्मीर	लक्ष्य	32	29	8951	164	18001	5980	364		1891	70	66%
		उपलब्धि	13	23	8206	106	17168	5367	161		414	44	
		% उपलब्धि	41%	79%	92%	65%	95%	90%	44%		22%	63%	
13	झारखण्ड	लक्ष्य	226	182	123305	4908	99506	55521	3544	418384		629	95%
		उपलब्धि	190	178	119861	4783	96895	53707	3132	395189		629	
		% उपलब्धि	84%	98%	97%	97%	97%	97%	88%	94%		100%	
14	कर्नाटक	लक्ष्य	4	8	29735	11838	27316	15308	44	1502416	23844		100%
		उपलब्धि	4	8	29502	11648	27182	15299	44	1502416	23844		
		% उपलब्धि	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	केरल	लक्ष्य	4	11	2423		6260	3174	34	2063687	23436	97	101%
		उपलब्धि	4	12	2423		6259	3171	34	2052289	22918	98	
		% उपलब्धि	100%	109%	100%		100%	100%	100%	99%	98%	101%	
16	लद्दाख	लक्ष्य	12		318		692	1081	360				89%
		उपलब्धि	11		270		680	966	294				
		% उपलब्धि	92%		85%		98%	89%	82%				
17	मध्य प्रदेश	लक्ष्य	187	510	100904	7932	85329	77874	1421	466269	14682	498	100%
		उपलब्धि	187	509	99905	7932	85154	77240	1421	466269	14594	498	
		% उपलब्धि	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	
18	महाराष्ट्र	लक्ष्य	213	163	21056	9593	23314	8773	2618				92%
		उपलब्धि	206	163	19518	8322	22105	7834	2239				
		% उपलब्धि	97%	100%	93%	87%	95%	89%	86%				
19	मणिपुर	लक्ष्य	16	5	2996		4168	5265	252	5795	72		96%
		उपलब्धि	16	5	2874		3921	4852	252	4786	72		
		% उपलब्धि	100%	100%	96%		94%	92%	100%	83%	100%		
20	मेघालय	लक्ष्य	12	2	5222		16309	6182	175		1002	162	92%
		उपलब्धि	12	2	5136		16084	5953	160		977	89	
		% उपलब्धि	100%	100%	98%		99%	96%	92%		98%	55%	
21	मिजोरम	लक्ष्य	10	16	1014		996	1840	403	18712		132	74%
		उपलब्धि	10	12	1014		996	1801	403			27	
		% उपलब्धि	100%	75%	100%		100%	98%	100%			20%	
22	नागालैंड	लक्ष्य	14	16	1476		1719	1894	321		614	191	81%
		उपलब्धि	14	12	1212		1471	1574	299		418	114	
		% उपलब्धि	100%	75%	82%		86%	83%	93%		68%	60%	

23	ओडिशा	लक्ष्य	47	577	129395	1288	109696	59345	2370	2157937	895	92%	
		उपलब्धि	47	571	127574	1151	107666	57988	1983	1594306	811		
		% उपलब्धि	100%	99%	99%	89%	98%	98%	84%	74%	91%		
24	पुदुचेरी	लक्ष्य		21		13		41		75609	1250	63%	
		उपलब्धि		17		6		19		60274	785		
		% उपलब्धि		81%		47%		46%		80%	63%		
25	पंजाब	लक्ष्य		12667	2849	289		4027		195831	3841	85%	
		उपलब्धि		10262	1517	265		3897		168051	3818		
		% उपलब्धि		81%	53%	92%		97%		86%	99%		
26	राजस्थान	लक्ष्य	228	81	219019	6621	167680	65390	1763	138084	2229	98%	
		उपलब्धि	227	81	215798	6136	165290	64318	1738	138084	2119		
		% उपलब्धि	100%	100%	99%	93%	99%	98%	99%	100%	95%		
27	सिक्किम	लक्ष्य		903		2163		1221		45969	65	93%	
		उपलब्धि		795		1885		1083		45969	65		
		% उपलब्धि		88%		87%		89%		100%	100%		
28	तमिलनाडु	लक्ष्य	106	130	11864	672	3223	4385	1510	1193990		100%	
		उपलब्धि	106	130	11864	672	3223	4385	1510	1193990			
		% उपलब्धि	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
29	तेलंगाना	लक्ष्य	88		19583		19323	4871	337		1503	100%	
		उपलब्धि	88		19583		19323	4871	337		1503		
		% उपलब्धि	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%		
30	त्रिपुरा	लक्ष्य	19	2	6578		8740	6977	151	161728		66%	
		उपलब्धि	9	2	4298		6130	3754	112	88671			
		% उपलब्धि	47%	100%	65%		70%	54%	74%	55%			
31	उत्तर प्रदेश	लक्ष्य	492	1751	474062	36679	211341	131656	8857	2109992	96144	2695	94%
		उपलब्धि	486	1704	468855	36679	207825	126319	8782	2111044	50101	2702	
		% उपलब्धि	99%	97%	99%	100%	98%	96%	99%	100%	52%	100%	
32	उत्तराखण्ड	लक्ष्य	7	13	16187	1402	17132	10334	118	31360		94%	
		उपलब्धि	7	13	15949	1362	16869	10147	118	17600			
		% उपलब्धि	100%	100%	99%	97%	98%	98%	100%	56%			
33	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य	102	160	56980	10503	65456	22567	2080	2612442	27721	512	93%
		उपलब्धि	100	155	55160	8568	63433	21128	1734	2477464	23793	512	
		% उपलब्धि	98%	97%	97%	82%	97%	94%	83%	95%	86%	100%	
34	कुल जोड़	लक्ष्य	2816	4407	1642027	133969	1272889	675836	39445	16334299	277603	14071	94%
		उपलब्धि	2684	4329	1609503	126198	1250920	655618	36990	15184102	222865	13598	
		% उपलब्धि	95%	98%	98%	94%	98%	97%	94%	93%	80%	97%	

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य - राज्यवार वास्तविक प्रगति					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	घरों का विद्युतीकरण (संख्या)			
		11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या	01.04.2019 से 31.12.2020 तक प्रगति	11.10.2017 से 31.12.2020 तक विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या	28.02.2021 की स्थिति के अनुसार शेष बचे अविद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181,930		181,930	
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089		47,089	
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	
4	बिहार	3,259,041		3,259,041	
5	छत्तीसगढ़	749,397	38,005	787,402	2,389
6	गुजरात	41,317		41,317	
7	हरियाणा	54,681		54,681	
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891	
9	जम्मू एवं कश्मीर	387,501		387,501	
10	झारखण्ड	1,530,708	174,571	1,705,279	25,429
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798	
12	केरल	3.19 लाख घर पुनःविद्युतीकृत किए गए (जो बाढ़ से अविद्युतीकृत हो गए थे)			
13	लद्दाख				
14	मध्य प्रदेश	1,984,264		1,984,264	
15	महाराष्ट्र	1,517,922		1,517,922	
16	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	
17	मेघालय	199,839		199,839	
18	मिजोरम	27,970		27,970	
19	नागालैंड	132,507		132,507	
20	ओडिशा	2,452,444		2,452,444	
21	पुडुचेरी	912		912	
22	पंजाब	3,477		3,477	
23	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	
24	सिक्किम	14,900		14,900	
25	तमिलनाडु	2,170		2,170	
26	तेलंगाना	515,084		515,084	
27	त्रिपुरा	139,090		139,090	
28	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	
29	उत्तराखण्ड	248,751		248,751	
30	पश्चिम बंगाल	732,290		732,290	
	<b>कुल</b>	<b>26,284,350</b>	<b>1,857,556</b>	<b>28,141,906</b>	<b>27,818</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए राज्य, सूचीबद्ध लाभार्थी तथा अपनाए गए मानदंड के ब्यौरे**

स्कीम का नाम	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लाभार्थी तथा अपनाए गए मानदंड
डीडीयूजीजेवाई	अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>लाभार्थी:</b> ग्रामीण जनसंख्या</li> <li>• <b>मानदंड:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राज्य सरकार/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार द्वारा 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।</li> </ul> </li> </ul> <p>ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे। एपीएल ग्रामीण घरों को अपने मानदंडों के अनुसार लागू कनेक्शन शुल्क का भुगतान करके संबंधित राज्य डिस्कॉम/विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना होता है।</p>
सौभाग्य	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>लाभार्थी:</b> सभी ग्रामीण घर तथा गरीब शहरी घर</li> <li>• <b>मानदंड:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राज्य सरकार/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार द्वारा 26 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।</li> <li>✓ स्कीम के तहत मुफ्त विद्युत कनेक्शन के संभावित लाभार्थी घरों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटा का उपयोग करके की गई थी। स्कीम के अनुसार, एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार पात्र नहीं पाए गए घरों को 500 रुपये प्रति घर के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया जाएगा। जिसे बाद में विद्युत बिलों के साथ दस (10) समान किशतों में संबंधित डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा वसूल किया जाएगा।</li> </ul> </li> </ul>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 तक राज्य-वार, वर्ष-वार निधियां जारी तथा व्यय करने का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21*		स्वीकृत कुल राशि	जारी कुल अनुदान	व्ययित कुल अनुदान
		स्वीकृत राशि	जारी अनुदान	स्वीकृत राशि	जारी अनुदान	स्वीकृत राशि	जारी अनुदान	स्वीकृत राशि	जारी अनुदान			
1	आंध्र प्रदेश				177				8		359	359
2	अरुणाचल प्रदेश		81	292	160	142	37		32	435	309	277
3	असम		408	1494	1082		661		346	1494	2496	2384
4	बिहार		763	644	2412	800	682		659	1445	4516	4516
5	छत्तीसगढ़		552	84	79		58		13	84	702	695
6	गुजरात		143		181						324	324
7	हरियाणा		45	30	22		50		5	30	122	122
8	हिमाचल प्रदेश			9	15		40		37	9	92	92
9	जम्मू एवं कश्मीर		57	785	527	90	65	480	35	1355	684	637
10	झारखण्ड		862	1078	1362		610		265	1078	3099	3072
11	कर्नाटक		204	127	451		283		2	127	940	939
12	केरल		87		57		8				152	152
13	लद्दाख		8		15		24				47	47
14	मध्य प्रदेश		598	999	952		375		171	999	2095	2049
15	महाराष्ट्र		143	369	482		225		132	369	982	970
16	मणिपुर		33	60	41	70	46		15	130	135	118
17	मेघालय		58	381	155		165		50	381	427	413
18	मिजोरम		42	32	35	22	16		5	54	97	88
19	नागालैंड		24	28	55	52	24		4	80	107	84
20	ओडिशा		366	509	1360		330		55	509	2112	1940
21	पंजाब	191	15		42		115			191	172	169
22	राजस्थान		782	1128	1246		273		101	1128	2402	2351
23	सिक्किम		18	37	21		9		28	37	76	76
24	तमिलनाडु		2		244		56				302	302
25	तेलंगाना		60		61		74				195	195
26	त्रिपुरा		62	359	112		47		48	359	269	266
27	उत्तर प्रदेश		3149	6290	3560		946		1145	6290	8800	8646
28	उत्तराखण्ड		33		270		269				572	493
29	पश्चिम बंगाल		241		1281		261		123		1907	1883
30	गोवा				3		7				10	10
31	दादरा एवं नगर हवेली				1						1	1
32	पुदुचेरी				0		5				5	5
33	अंडमान निकोबार		1						2		3	1
	<b>कुल जोड़</b>	<b>191</b>	<b>9002</b>	<b>14733</b>	<b>16460</b>	<b>1177</b>	<b>5767</b>	<b>480</b>	<b>3283</b>	<b>16581</b>	<b>34513</b>	<b>33675</b>

\*28.02.2021 तक

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 तक राज्य-वार, वर्ष-वार निधियां जारी तथा व्यय करने का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21*		स्वीकृत कुल राशि	जारी कुल अनुदान	व्ययित कुल अनुदान
		स्वीकृत राशि	जारी अनुदान									
1	आंध्र प्रदेश											
2	अरुणाचल प्रदेश			323	139		14			323	153	142
3	असम		42	973	403		121		78	973	644	644
4	बिहार		115	926	199		136		17	926	468	468
5	छत्तीसगढ़		43	648	219		32		42	648	336	336
6	गुजरात											
7	हरियाणा			18			3			18	3	3
8	हिमाचल प्रदेश			6	1		3			6	4	4
9	जम्मू एवं कश्मीर		2	133	51					133	53	37
10	झारखण्ड		70	887	83		4			887	157	150
11	कर्नाटक			79			39			79	39	39
12	केरल		15	90			26		13	90	55	55
13	लद्दाख											
14	मध्य प्रदेश		260	873	147				6	873	414	414
15	महाराष्ट्र		15	406	140		43			406	198	198
16	मणिपुर		6	121	35		33		12	121	86	86
17	मेघालय			276	98		88		1	276	187	186
18	मिजोरम			46	35				6	46	41	38
19	नागालैंड		5	64	34					64	39	39
20	ओडिशा		76	525	168					525	245	225
21	पंजाब			2					0	2	0	0
22	राजस्थान			663	103		76		71	663	251	251
23	सिक्किम			2			1		1	2	2	2
24	तमिलनाडु											
25	तेलंगाना			35			15			35	15	15
26	त्रिपुरा			418	237		8		0	418	245	240
27	उत्तर प्रदेश		864	6188	523		26		23	6188	1436	1436
28	उत्तराखण्ड		13	149	22		7			149	43	40
29	पश्चिम बंगाल		14	259	73		20		16	259	123	123
30	गोवा											
31	दादरा एवं नगर हवेली											
32	पुदुचेरी											
33	अंडमान निकोबार											
	<b>कुल जोड़</b>		<b>1541</b>	<b>14109</b>	<b>2709</b>		<b>696</b>		<b>288</b>	<b>14109</b>	<b>5234</b>	<b>5168</b>

\*28.02.2021 तक

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3785

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी संयंत्र के निर्माण की स्थिति

3785. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बितहौर में एनटीपीसी संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस समय निर्माण की लागत क्या थी;
- (ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार संयंत्र की वर्तमान लागत कितनी है;
- (ग) उक्त संयंत्र के निर्माण कार्य को पूरा करने संबंधी निर्धारित समय-सीमा क्या है और इसे कितनी बार विस्तार दिया गया है, और तिथि-वार प्रत्येक विस्तार की अवधि क्या थी;
- (घ) उक्त संयंत्र के निर्माण की क्या स्थिति है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और
- (ङ) उक्त संयंत्र के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हाँ। एनटीपीसी बिल्हौर की संस्वीकृति की तारीख/निवेश अनुमोदन की तारीख, निवेश लागत और वर्तमान लागत नीचे दी गई है:

परियोजना	निवेश अनुमोदन की तारीख	निवेश लागत	वर्तमान लागत
बिल्हौर-I (140 मेगावाट)	19.12.2018	635.55 करोड़ रुपये	635.55 करोड़ रुपये
बिल्हौर-II (85 मेगावाट)	27.02.2019	442.58 करोड़ रुपये	442.58 करोड़ रुपये

(ग) : एनटीपीसी बिल्हौर-I के लिए निर्माण कार्य की समापन तारीख 23.08.2020 थी। कोविड-19 के कारण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 23.01.2021 तक एक बारगी पांच(5) माह का विस्तार दिया गया था।

एनटीपीसी बिल्हौर-II के लिए निर्माण कार्य की समापन तारीख 10.11.2020 थी। कोविड-19 के कारण एमएनआरई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10.04.2021 तक एकबारगी पांच (5) माह का विस्तार दिया गया था।

(घ) और (ङ) : एनटीपीसी बिल्हौर-I 18.01.2021 को चालू हो गया था और एनटीपीसी बिल्हौर-II के 10.04.2021 को चालू होने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3790

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

शार्ट सर्किट और करंट के कारण होने वाली मौतें

3790. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

श्री भागीरथी चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देशभर में प्रति वर्ष विद्युत शार्ट सर्किट और करंट लगने के कारण जान-माल की हानि होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हुई हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप' पहल के अंतर्गत विद्युत के शार्ट सर्किट से बचाव करने के लिए किसी प्रभावी योजना/उपकरणों को बनाया/विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत के शार्ट सर्किट और करंट लगने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, इत्यादि जैसी सरकारी संस्थाओं में विद्युत 'शॉक प्रूफ' उपकरणों जैसे किसी उपकरण को संस्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां, देशभर में प्रत्येक वर्ष शार्ट सर्किट करंट के कारण जान एवं माल की क्षति होती है।

**(ख)** : विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डिस्कॉमों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के दौरान मृत अथवा घायल व्यक्तियों एवं पशुओं की संख्या से संबंधित वैद्युत दुर्घटनाओं के आंकड़े **अनुबंध** में दिए गए हैं। तथापि, वैद्युत दुर्घटनाओं के कारण माल की क्षति से संबंधित आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डिस्कॉमों द्वारा सूचित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण, कुछ विद्युत यूटिलिटियों ने वर्ष 2019-20 से संबंधित वैद्युत दुर्घटनाओं के आंकड़े सूचित नहीं किए हैं।

66 केवी और उससे अधिक वोल्टेज प्रणाली के मामले में शार्ट सर्किट के कारण उपकरणों की खराबी/क्षति से अधिकांश मामलों में जीवन की कोई हानि नहीं होती है।

**(ग)** : लागू विनियमों एवं तकनीकी मानकों के अनुसार प्रणाली में सभी सुरक्षा एवं संरक्षण उपकरण प्रदान किए जाने हैं। अपेक्षित संरक्षण एवं सुरक्षा उपकरण, जिनका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, प्रासंगिक भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विभिन्न निर्मातों द्वारा भारत में विनिर्माण किया जाता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी में सुधार एक नियमित घटना है और प्रौद्योगिकी विकास एक सतत प्रक्रिया है। अधिकांश संरक्षी उपकरण भारत में ही विनिर्मित किए जाते हैं।

**(घ) और (ङ)** : सीईए (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में, जान की क्षति रोकने के लिए, अर्थ फॉल्ट होने अथवा करंट लीक होने की स्थिति में आपूर्ति को तत्काल डिसकनेक्ट करने का प्रावधान है। विनियम 42 यह अधिदेश देता है कि 250 वोल्टेज से अनधिक तथा 5 किलोवाट से कम क्षमता के प्रत्येक विद्युत प्रतिष्ठान और 250 वोल्टेज से कम वोल्ट वाले प्रतिष्ठान जिन पर अधिनियम की धारा 54 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, को छोड़कर प्रत्येक विद्युत प्रतिष्ठान को विद्युत की आपूर्ति अर्थ लीकेज से बचाने वाले एक उपकरण द्वारा नियंत्रित होगी ताकि अर्थ फॉल्ट होने अथवा करंट लीक होने की स्थिति में आपूर्ति डिसकनेक्ट की जा सके।

\*\*\*\*\*

**अखिल भारतीय वैद्युत घटनाएं**  
**वर्ष 2017-18 के लिए राज्य-वार आंकड़े**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादक स्टेशन/पारेषण/वितरण												उपभोक्ताओं की औद्योगिक संस्थापना						औद्योगिक को छोड़कर उपभोक्ताओं की संस्थापना										कुल दुर्घटनाएं					
	उत्पादक स्टेशन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्वामित्व			निजी कंपनियों द्वारा स्वामित्व			सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्वामित्व					निजी कंपनियों द्वारा स्वामित्व						व्यक्ति (यों)				
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु	मानव		पशु	मानव		पशु			मानव		पशु		मानव		पशु				
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक		घातक	गैर-घातक			
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>																																		
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	65	105	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	4	2	0	73	2	3	0	433
महाराष्ट्र	1	1	0	0	10	9	3	1	589	530	1158	5	10	8	2	0	43	11	0	0	28	1	10	0	47	4	0	0	545	44	54	2	3116	
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	40	36	38	0	92	20	237	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	23	0	7	0	32	1	7	0	539		
गोवा	0	0	0	0	2	1	0	0	5	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
गुजरात	1	2	0	0	27	60	41	0	269	155	322	0	0	0	0	36	3	0	0	0	15	4	31	0	46	8	4	0	229	8	6	0	1267	
<b>कुल</b>																										<b>5380</b>								
<b>मानव के लिए घातक</b>																										<b>2344</b>								
<b>मानव के लिए गैर-घातक</b>																										<b>988</b>								
<b>पशु के लिए घातक</b>																										<b>2040</b>								
<b>पशु के लिए गैर-घातक</b>																										<b>8</b>								
<b>दक्षिणी क्षेत्र*</b>																																		
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	427	104	340	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	12	20	0	1095		
कर्नाटक	0	0	0	0	212	260	111	0	237	61	422	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	26	5	4	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1345		
केरल	0	0	0	0	7	13	2	0	110	122	40	0	2	4	0	0	3	2	0	0	3	1	0	0	10	2	0	0	107	8	14	0	450	
तमिलनाडु	0	0	6	0	134	61	16	0	92	34	12	0	3	0	0	0	13	2	0	0	34	2	0	0	14	0	3	0	17	4	0	0	447	
तेलंगाना	0	0	0	0	2	1	0	0	77	7	81	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	2	0	190		
<b>कुल</b>																										<b>3527</b>								
<b>मानव के लिए घातक</b>																										<b>1746</b>								
<b>मानव के लिए गैर-घातक</b>																										<b>707</b>								
<b>पशु के लिए घातक</b>																										<b>1074</b>								
<b>पशु के लिए गैर-घातक</b>																										<b>0</b>								
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>																																		
असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
नागालैंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	
<b>कुल</b>																										<b>0</b>								
<b>मानव के लिए घातक</b>																										<b>0</b>								
<b>मानव के लिए गैर-घातक</b>																										<b>0</b>								
<b>पशु के लिए घातक</b>																										<b>0</b>								
<b>पशु के लिए गैर-घातक</b>																										<b>0</b>								
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>																																		
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	183	135	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	18	0	0	0	0	0	0	387



**अखिल भारतीय वैद्युत घटनाएं**  
**वर्ष 2018-19 के लिए राज्य-वार आंकड़े**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादक स्टेशन/पारेषण/वितरण												उपभोक्ताओं की औद्योगिक संस्थापना								औद्योगिक को छोड़कर उपभोक्ताओं की संस्थापना								कुल दुर्घटनाएं								
	उत्पादक स्टेशन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्वामित्व				निजी कंपनियों द्वारा स्वामित्व				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्वामित्व				निजी कंपनियों द्वारा स्वामित्व					व्यक्ति (यों)							
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु										
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक									
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>																																					
मध्य प्रदेश	0	2	0	0	7	1	4	0	182	81	72	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	88	7	4	0	47			
महाराष्ट्र	0	3	1	0	12	21	3	0	600	551	1078	5	10	3	2	0	29	7	3	0	31	8	12	0	59	10	5	0	577	54	45	1	3130				
छत्तीसगढ़	0	1	0	0	24	24	37	0	90	42	259	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	18	1	0	0	48	2	6	0	558				
गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0	2	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24				
गुजरात	2	2	0	0	36	45	39	0	201	160	285	0	2	0	1	0	71	9	0	0	12	2	10	0	34	5	6	0	227	8	7	0	1164				
<b>कुल</b>																										5347											
<b>मानव के लिए घातक</b>																										2387											
<b>मानव के लिए गैर-घातक</b>																										1067											
<b>पशु के लिए घातक</b>																										1886											
<b>पशु के लिए गैर-घातक</b>																										7											
<b>दक्षिणी क्षेत्र*</b>																																					
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	558	143	496	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	3	0	0	1255				
कर्नाटक	0	0	0	0	1476												1	0	0	0	4	0	0	0	3	2	1	0	25	1	1	0	0	0	0	0	1514
केरल	0	2	0	0	3	10	1	0	105	108	55	0	1	0	0	0	14	4	2	0	1	1	2	0	10	3	1	0	115	30	17	0	485				
तमिलनाडु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
तेलंगाना	0	0	0	0	3	1	0	0	28	2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80				
<b>कुल</b>																										3334											
<b>मानव के लिए घातक</b>																										2411											
<b>मानव के लिए गैर-घातक</b>																										310											
<b>पशु के लिए घातक</b>																										612											
<b>पशु के लिए गैर-घातक</b>																										1											
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>																																					
असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
नागालैंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
<b>कुल</b>																										0											
<b>मानव के लिए घातक</b>																										0											
<b>मानव के लिए गैर-घातक</b>																										0											
<b>पशु के लिए घातक</b>																										0											
<b>पशु के लिए गैर-घातक</b>																										0											
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>																																					
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	112	86	20	0	1	0	0	0	0	27	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257			
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0				
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	80	8	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129				
सिक्किम	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
ओडिशा	0	4	0	0	2	1	0	0	73	21	89	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	224				

																												कुल	614						
																												मानव के लिए घातक	330						
																												मानव के लिए गैर-घातक	131						
																												पशु के लिए घातक	152						
																												पशु के लिए गैर-घातक	1						
<b>उत्तरी क्षेत्र*</b>																																			
हरियाणा	-	-	-	-	6	4	-	-	116	40	46	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	20	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																												
पंजाब	-	-	-	-	3	3	-	-	69	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
राजस्थान	-	-	-	-	16	16	-	-	22	37	43	-	7	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	20	-	171	
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	10	15	30	-	1014	331	1502	5	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	1	-	1	-	-	43	4	4	1	2969		
उत्तराखंड	3	-	-	-	3	3	-	-	61	45	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	183		
दिल्ली	-	-	-	-	2	2	-	-	29	17	4	-	4	-	-	-	27	3	-	-	2	-	-	-	31	7	-	-	43	-	1	-	172		
																												कुल	3902						
																												मानव के लिए घातक	1543						
																												मानव के लिए गैर-घातक	628						
																												पशु के लिए घातक	1725						
																												पशु के लिए गैर-घातक	6						
<b>अन्य</b>																																			
खान	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																												
केंद्र सरकार संस्थापना	1	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	7	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65		
																												कुल	118						
																												मानव के लिए घातक	25						
																												मानव के लिए गैर-घातक	55						
																												पशु के लिए घातक	7						
																												पशु के लिए गैर-घातक	31						
<b>संघ राज्य-क्षेत्र</b>																																			
अंड. व निको. द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																													
पुडुचेरी	उ.न.	5	4	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	9																										
चंडीगढ़	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																													
दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																													
																												कुल	13						
																												मानव के लिए घातक	9						
																												मानव के लिए गैर-घातक	4						
																												पशु के लिए घातक	0						
																												पशु के लिए गैर-घातक	0						
																												कुल जोड़	13328						
																												कुल मानव के लिए घातक	6705						
																												कुल मानव के लिए गैर-घातक	2195						
																												कुल पशु के लिए घातक	4382						
																												कुल पशु के लिए गैर-घातक	46						
उ.न.=आंकड़े उपलब्ध नहीं																																			



																												कुल	0						
																												मानव के लिए घातक	0						
																												मानव के लिए गैर-घातक	0						
																												पशु के लिए घातक	0						
																												पशु के लिए गैर-घातक	0						
<b>उत्तरी क्षेत्र*</b>																																			
हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
हिमाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
पंजाब	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	18	9	15	-	1132	479	2021	7	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	0	1	0	0	0	56	6	1	0	0	3753		
उत्तराखंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																									
दिल्ली	-	-	-	-	3	2	-	-	16	13	2	-	1	-	-	-	20	1	-	-	0	1	-	-	2	0	-	-	75	3	1	-	140		
																												कुल	3893						
																												मानव के लिए घातक	1332						
																												मानव के लिए गैर-घातक	514						
																												पशु के लिए घातक	2040						
																												पशु के लिए गैर-घातक	7						
<b>अन्य</b>																																			
खान	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
केंद्र सरकार संस्थापना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
रेलवे	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0																								
																												कुल	0						
																												मानव के लिए घातक	0						
																												मानव के लिए गैर-घातक	0						
																												पशु के लिए घातक	0						
																												पशु के लिए गैर-घातक	0						
<b>संघ राज्य-क्षेत्र</b>																																			
अंड. व निको.																																			
द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
चंडीगढ़										113	35	15	-	0						0	0	-	-	5	9									179	
दादरा व नागर हवेली																																			0
दमन व दीव																																			0
लक्षद्वीप																																			0
																												कुल	194						
																												मानव के लिए घातक	125						
																												मानव के लिए गैर-घातक	47						
																												पशु के लिए घातक	22						
																												पशु के लिए गैर-घातक	0						
																								कुल जोड़	12737										
																								कुल मानव के लिए घातक	5033										
																								कुल मानव के लिए गैर-घातक	2040										
																								कुल पशु के लिए घातक	5647										
																								कुल पशु के लिए गैर-घातक	17										
उ.न.=उपलब्ध नहीं * 'संघ राज्य/क्षेत्रों को छोड़कर'																																			

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3797

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

पनबिजली विद्युत संयंत्रों की संस्थापना

3797. श्री बी.बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में पनबिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना में स्थापित पनबिजली और ताप विद्युत संयंत्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) तेलंगाना में चल रही ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और किस समय-सीमा तक इनके पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) संबंधित राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं को आबंटित की जाती हैं। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी जो जल विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने का आशय रखती है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसी राशि जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जाए, अधिक पूंजी व्यय अंतर्भूत होना प्राक्कलित हो।

सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश भर में जल विद्युत संयंत्रों के विकास की स्थिति निम्नानुसार है :

- देश में 3,962 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली 6 एचईपीज (25 मेगावाट से अधिक) सर्वेक्षण एवं जांच स्तर पर हैं। ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।
- 2,666 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली 6 एचईपीज (25 मेगावाट से अधिक) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सहमति के लिए सीईए में जांचाधीन हैं। ब्यौरा अनुबंध- II पर दिया गया है।

- 23,064 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली 33 एचईपीज (25 मेगावाट से अधिक) को सीईए/राज्य सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है/मूल्यांकन कर दिया गया है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ये परियोजनाएं विभिन्न कारणों से लंबित हैं, ब्यौरा अनुबंध- III पर दिया गया है।
- वर्तमान में देश में 12673.5 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली 36 एचईपीज (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ब्यौरा अनुबंध- IV पर दिया गया है।

(ख) : तेलंगाना में गत तीन वर्षों के दौरान (2018-19 के बाद से) संस्थापित, जल विद्युत एवं ताप विद्युत संयंत्रों का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

12.03.2021 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तारीख
1	पुलीचिंतला जल विद्युत स्टेशन, यूनिट - 4	सूर्यापेट	30	08.09.2018
2	कोठागुडेम टीपीएस स्टेज-VII	भद्राद्रि कोठागुडेम	800	26.12.2018
3	भद्राद्रि टीपीएस, यूनिट - 1	भद्राद्रि कोठागुडेम	270	06.05.2020
4	भद्राद्रि टीपीएस, यूनिट - 2	भद्राद्रि कोठागुडेम	270	12.07.2020
		<b>कुल</b>	<b>1370</b>	

टीपीएस - ताप विद्युत स्टेशन

(ग) : तेलंगाना में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा और उनके चालू होने का शैड्यूल निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का शैड्यूल
1	भद्राद्रि ताप विद्युत स्टेशन, यूनिट-3 एवं यूनिट-4 (2x270 मेगावाट), भद्राद्रि कोठागुडेम जिला	540	यूनिट- # 3 - मार्च, 2021 यूनिट- # 4 - जून, 2021
2	यदाद्रि ताप विद्युत स्टेशन (5x800 मेगावाट), नालगोंडा जिला	4000	जून, 2023 तक
	<b>कुल</b>	<b>4540</b>	

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3797 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सर्वेक्षण एवं जांच के स्तर पर जल विद्युत परियोजनाएं

12.03.2021 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	शारावथी पीएसपी	कर्नाटक	केपीसीएल	2000
2.	अपर इंद्रावती	ओडिशा	ओएचपीसीएल	600
3.	देवसरी	उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	162
4.	बोकांग बैलिंग	उत्तराखंड	टीएचडीसी	200
5.	कोडायर पीएसपी	तमिलनाडु	टैनजैडको	500
6.	बालीमेला पीएसपी	ओडिशा	ओएचपीसी	500
			कुल	3962

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3797 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन हैं

12.03.2021 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	300
2.	किरथई-1	जम्मू और कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीडीसी	390
3.	वाह-उमियम स्टेज-III	मेघालय	केंद्रीय	नीपको	85
4.	थाना प्लाउन	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	191
5.	डुगर	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	500
6.	पिन्नापुरम स्टैंडअलोन पीएसपी	आंध्र प्रदेश	निजी	निजी	1200
				<b>कुल</b>	<b>2666</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3797 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

जल विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/राज्य सरकारों द्वारा सहमति दी गई है/मूल्यांकन किया गया है और जिनका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है

12.03.2021 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए/राज्य सरकार की सहमति/मूल्यांकन की तिथि
1.	तीस्ता स्टे.-IV	सिक्किम	केंद्रीय	एनएचपीसी	520	13.05.10
2.	तवांग स्टे.-I	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	600	10.10.11
3.	तवांग स्टे.-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	800	22.09.11
4.	स्वालकोट	जम्मू और कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीसी	1856	18.04.18
5.	लोअर कोपिली	असम	राज्य	एपीजीसीएल	120	24.05.16
6.	दुर्गा पम्पड स्टोरेज परियोजना	पश्चिम बंगाल	राज्य	डब्ल्यूबीएसपीसीएल	1000	05.10.16
7.	मियार	हिमाचल प्रदेश	निजी	एमएचपीसीएल	120	07.02.13
8.	कलई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	कलई पीपीएल	1200	27.03.15
9.	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एचएचपीपीएल	240	28.07.15
10.	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीपीएल	186	28.10.15
11.	टलौंग लौदा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जीएमआर	225	16.08.13
12.	इटेलिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.13
13.	सुन्नी डैम	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	382	23.12.20
14.	किरथई-II	जम्मू और कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	930	14.06.19
15.	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएवीएल	2700	16.02.10
16.	हिरांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएपीएल	500	10.04.13
17.	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एनडीएससीपीएल	1000	11.09.13
18.	किशी स्टेज-I	मेघालय	निजी	एकेपीपीएल	270	31.03.15
19.	दिखू	नागालैंड	निजी	एनएमपीपीएल	186	31.03.14
20.	अडुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680	02.07.18
21.	कोटलीभेल स्टे.-Iए	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनएचपीसी	195	03.10.06
22.	कोटलीभेल स्टे.-Iबी	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनएचपीसी	320	31.10.06
23.	अलकनंदा	उत्तराखंड	निजी	जीएमआरएल	300	08.08.08
24.	डेम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एडीपीएल	1750	20.11.09
25.	क्वार	जम्मू और कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपीएल	540	23.02.17
26.	लोकटक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	संयुक्त उद्यम	एलडीएचसीएल	66	05.05.17
27.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880	18.09.17
28.	न्यू गंदरवाल	जम्मू और कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीसी	93	10.06.14
29.	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएनईएल	120	11.02.11
30.	छांजू-III	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	48	*
31.	देवथल छांजू	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	30	*
32.	धौलासिद्ध	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	66	*
33.	झकोल संखारी	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	44	*
				कुल	23064	

(\*) राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गई/मूल्यांकित जल विद्युत परियोजनाएं और जिनकी सीईए के पास सहमति/मूल्यांकन की तारीख आसानी से उपलब्ध नहीं है

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3797 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

12.03.2021 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुमानित तिथि
1.	सुबानसिरी लोअर	केंद्रीय	एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश	2000.00	2023-24(अग., 23)
2.	पारबती स्टे. II	केंद्रीय	एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	800.00	2021-22(मार्च, 22)
3.	लुहरी-I	केंद्रीय	एसजेवीएन	हिमाचल प्रदेश	210.00	2025-26(फर., 26)
4.	उहल-III	निजी	बीवीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	100.00	2022-23(दिसं., 22)
5.	शॉगटॉंग करचम	राज्य	एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	450.00	2024-25(मार्च, 25)
6.	बजोली होली	निजी	जीएमआर	हिमाचल प्रदेश	180.00	2021-22(दिसं., 21)
7.	सोरांग	निजी	एचएसपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	100.00	2021-22(दिसं., 21)
8.	टिडोंग-I	निजी	स्टेटक्राफ्ट आईपीएल	हिमाचल प्रदेश	100.00	2022-23(जून, 22)
9.	कुटेहर	निजी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि.	हिमाचल प्रदेश	240.00	2025-26(नव., 25)
10.	पकलदुल	केंद्रीय	सीवीपीपीएल	जम्मू और कश्मीर	1000.00	2025-26 (जुलाई, 25)
11.	परनई	राज्य	जेकेपीडीसी	जम्मू और कश्मीर	37.50	2022-23(मार्च, 23)
12.	किरू	केंद्रीय	सीवीपीपीएल	जम्मू और कश्मीर	624.00	2024-25 (अग., 24)
13.	पल्लोवसल	राज्य	केएसईबी	केरल	60.00	2021-22(दिसं., 21)
14.	थोटियार	राज्य	केएसईबी	केरल	40.00	2021-22(अप्रैल, 21)
15.	शाहपुरकंडी	राज्य	पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग	पंजाब	206.00	2023-24(दिसं., 23)
16.	लीस्ता स्टेज-VI	केंद्रीय	एनएचपीसी	सिक्किम	500.00	2023-24 (मार्च, 24)
17.	रौगनीचू	निजी	मध्य भारत	सिक्किम	96.00	2020-21(मार्च, 21)
18.	कुडहा पीएसपी फेज-I, II व III)	राज्य	टांजैडको	तमिलनाडु	500.00	2023-24(अप्रैल, 23)
19.	टिहरी पीएसपी	केंद्रीय	टीएचडीसी	उत्तराखंड	1000.00	2022-23 (दिसं., 22)
20.	विष्णुगाड पीपीलकोटि	केंद्रीय	टीएचडीसी	उत्तराखंड	444.00	2023-24 (दिसं., 23)
21.	नैटवर मोरी	केंद्रीय	एसजेवीएन	उत्तराखंड	60.00	2021-22(दिसं.-21)
22.	व्यासी	राज्य	यूजेवीएनएल	उत्तराखंड	120.00	2022-23(अप्रैल, 22)
23.	रम्माम-III	केंद्रीय	एनटीपीसी	पश्चिम बंगाल	120.00	2022-23 (नव., 22)
24.	तपोवन विष्णुगाड	केंद्रीय	एनटीपीसी	उत्तराखंड	520.00	2022-23 (दिसं., 22)
25.	पोलावरम	राज्य	एपजैको/सिंचाई विभाग	आंध्र प्रदेश	960.00	2023-25 *
26.	टंगनु रोमई- I	निजी	टीआरपीजी	हिमाचल प्रदेश	44.00	2024-25 *
27.	लोअर कलनई	राज्य	जेकेपीडीसी	जम्मू और कश्मीर	48.00	2025-26 *
28.	रत्ने	केंद्रीय	आरएचईपीपीएल/ एनएचपीसी	जम्मू और कश्मीर	850.00	2025-26 **
29.	महेश्वर	निजी	एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	400.00	2023-24 *
30.	कोयना लेफ्ट बैंक	राज्य	डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	80.00	2025-26 *
31.	रंगित-IV	केंद्रीय	एनएचपीसी	सिक्किम	120.00	2025-26 ***
32.	भास्मे	निजी	गति इन्फ्रास्ट्रक्चर	सिक्किम	51.00	2024-25 *
33.	रंगित-II	निजी	सिक्किम हाइड्रो	सिक्किम	66.00	2024-25 *
34.	पनन	निजी	हिमगिरि	सिक्किम	300.00	2025-26 *
35.	लता तपोवन	केंद्रीय	एनटीपीसी	उत्तराखंड	171.00	2025-26 *
36.	फाटा ब्यूंग	निजी	लैंको	उत्तराखंड	76.00	2024-25 *
			कुल		12673.5	

(\*) जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण विभिन्न कारणों की वजह से बीच में रुका हुआ है।

(\*\*) इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल द्वारा निवेश अनुमोदन 20.01.2021 को दिया गया और इसे एनएचपीसी (51%) और जेकेएसपीडीसीएल (49%) के बीच संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू किया जाएगा।

(\*\*\*) पीआईबी ने दिनांक 12.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना के निवेश अनुमोदन के लिए सिफारिश की।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3800

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

पीजीसीआईएल द्वारा अर्जित लाभ

**3800. श्री राजन बाबूराव विचारे:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले वर्ष के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है;
- (ख) क्या चालू वर्ष के दौरान एनटीपीसी समूह ने सकल बिजली उत्पादन में वृद्धि की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देशभर में पवन आधारित परियोजनाओं से रोशन होने वाले घरों की संख्या कितनी है और इस से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितनी कमी आने की संभावना है?

**उत्तर**

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समेकित आधार पर पावरग्रिड द्वारा प्राप्त कर पश्चात लाभ (पीएटी) 11059.40 करोड़ रुपए है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समेकित आधार पर पावरग्रिड द्वारा प्राप्त निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में पीएटी 17.09 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) : एनटीपीसी समूह ने वित्तीय वर्ष 2019-20 (फरवरी, 2020 तक) में 264.91 बिलियन यूनिट विद्युत (बीयू) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 (फरवरी, 2021 तक) में 279.81 बिलियन यूनिट विद्युत (बीयू) का उत्पादन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में, विद्युत उत्पादन में 14.90 बीयू की वृद्धि हुई है।

(घ) : 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित पवन विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 38789 मेगावाट थी। पवन विद्युत परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन के द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में संभावित कमी 78 मिलियन टन प्रति वर्ष प्राक्कलित की गई है। विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत को विद्युत ग्रिड में डाला जाता है जो घरों सहित उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3804

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं

**3804. श्री अशोक महादेवराव नेते:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संस्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं लंबित हैं तथा आज की तिथि तक इनमें कितनी क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी, यदि वह ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है, इस अधिनियम के अंतर्गत, अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजना (टीपीपी) की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यक नहीं होती है। कोई भी कॉर्पोरेट निकाय अथवा व्यक्ति सरकार से अनुमति लिए बिना ताप विद्युत स्टेशन में निवेश कर सकता है।

तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, सीईए ने 7,004 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 7 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर सहमति दी है। वर्तमान स्थिति सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3804 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति, जहां विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा डीपीआर को सहमति दी गई

क्रम सं.	स्कीम	क्षेत्र	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	सीईए द्वारा सहमति (तारीख)	स्थिति
<b>2017-18</b>							
1.	लोकटक डाउन स्ट्रीम	केंद्रीय	मणिपुर	66	1352.77	05.05.2017	अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।
2.	दिबांग	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	2,880	25732.79	18.09.2017	-वही-
<b>2018-19</b>							
3.	सावलकोट	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	1,856	22190.66	18.04.2018	अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।
4.	लुहरी स्टेज-I	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	210	1912.59	01.05.2018	निर्माणाधीन
5.	अट्टुनली	निजी	अरुणाचल प्रदेश	680	6267.81	02.07.2018	अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।
<b>2019-20</b>							
6.	किरथई-II	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	930	5989.75	14.06.2019	अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।
<b>2020-21</b>							
7.	सुन्नी डैम	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	382	2475.35	23.12.2020	अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3890

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

किसानों को निःशुल्क बिजली

3890. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कुछ राज्य किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लाभान्वित किसानों की राज्य-वार और फसल-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या तेलंगाना राज्य सरकार किसानों को 24 घण्टे निःशुल्क बिजली प्रदान कर रही थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इसमें सरकार की भूमिका सहित इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य सरकारें, राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किए गए टैरिफ में, किसी भी उपभोक्ता अथवा किसानों सहित उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को, कोई सब्सिडी प्रदान कर सकती हैं। तदनुसार, कुछ राज्य किसानों को सब्सिडी प्रदान करते हैं जो राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित किए गए टैरिफ का भाग अथवा पूरी सब्सिडी हो सकती है।

राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार, किसानों को मुफ्त विद्युत प्रदान कर रहे राज्यों के ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : तेलंगाना स्टेट ट्रांसको लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, तेलंगाना राज्य 01.01.2018 से किसानों को 24 घंटे मुफ्त विद्युत आपूर्ति कर रहा है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में लाभान्वित हुए किसानों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष-वार	तेलंगाना राज्य में लाभान्वित किसानों की संख्या (सभी फसलों के लिए) लाखों में
2017-18	22.99
2018-19	23.80
2019-20	24.46
2020-21 (जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार)	25.11

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई सूचित राज्य-वार प्रत्यक्ष विद्युत सब्सिडी के ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3890 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

उन राज्यों का ब्यौरा जो किसानों को निःशुल्क विद्युत प्रदान कर रहे हैं

क्रम सं.	राज्य	प्रभावी तारीख	श्रेणी	प्रभार दर	*31.03.2019 के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	01.04.2019 से	कृषि और संबंधित गैर-निगमित किसान/गन्ना कृषि/ग्रामीण हॉर्टीकल्चर नर्सरी	शून्य	1740418
2	कर्नाटक	01.04.2019 से	कृषि (10 हॉर्सपावर तक संबद्ध भार के लिए)	शून्य	2969013
3	पंजाब	01.06.2019 से	कृषि (सभी संबद्ध भार के लिए) (सरकारी सब्सिडी सहित)	शून्य	1378960
4	तमिलनाडु	11.08.2017 से	कृषि (सभी संबद्ध भार के लिए)	शून्य	2117440
5	तेलंगाना	01.04.2018 से	निगमित किसानों को छोड़कर कृषि (अनिवार्य मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) उपाय)	शून्य	2305318

\*केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा 2020 के अनुसार

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3890 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई प्रत्यक्ष विद्युत सब्सिडी का विस्तार**

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2017-18	2018-19
1	अरुणाचल प्रदेश	0.02	
2	असम	0.00	0
3	आंध्र प्रदेश	2750.00	1250.00
4	बिहार	165.05	318.2
5	छत्तीसगढ़	1668.66	1645.31
6	दिल्ली *		6.69
7	गोवा	0.00	0.16
8	गुजरात	5873.62	6259.44
9	हिमाचल प्रदेश	12.17	16.74
10	हरियाणा*	6550.86	7139.72
11	जम्मू और कश्मीर		
12	झारखंड *	0.00	22.88
13	कर्नाटक	8449.85	8856.66
14	केरल	16.07	23.21
15	मध्य प्रदेश	8763.48	9903.01
16	महाराष्ट्र	4870.00	5539.00
17	मणिपुर	0.76	
18	मिजोरम	0.00	0.00
19	मेघालय	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00
21	ओडिशा	0.00	0.00
22	पंजाब	6029.29	5669.51
23	राजस्थान	10033.07	10718.03
24	सिक्किम	0.00	0
25	तमिलनाडु	3765.91	4097.6
26	तेलंगाना	3235.66	4687.44
27	त्रिपुरा	5.39	4.43
28	उत्तराखंड	0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	240.00	1700
30	पश्चिम बंगाल	22.91	22.84
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1.06	1.21
32	चंडीगढ़	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	
34	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	2.02	3.10
37	लद्दाख		

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग/एसईआरसी/जेईआरसी/डिस्कॉम

जम्मू व कश्मीर (अब 2 संघ राज्य-क्षेत्र) ने 2015-16 से अभी तक आंकड़े नहीं भेजे हैं।

हरियाणा के आंकड़े यूएचबीवीएनएल, पंचकुला के लिए हैं।

बिहार ने केवल वित्त वर्ष 2018-19 का डीएस दिया है, शेष वर्ष का डीएस पिछले पत्राचार का है।

असम के सब्सिडी के आंकड़े टेलीफोन पर बातचीत के बाद अद्यतित किए जाते हैं

\*जीओएनसीटीडी ने कृषि क्षेत्र को निर्धारित प्रभारों पर 105 रु./केडब्ल्यू/माह की दर से प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की है।

\*\*\*\*\*